



SDRF से विकलनीय

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं०-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-15 (अ०) आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

प्रेषक,

अमिताभ कौशल, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय - मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि के सुसंगत शीर्ष से कुल राशि 5,45,00,000/- (पाँच करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग - विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-38(स्वी०) दिनांक-09.06.2022

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-245/बजट, दिनांक-30.03.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

क्र०सं०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रुपये में)
1	मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि लघु शीर्ष-113-घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता उप शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती एवं पुर्नस्थापना विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43-अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड-39-S-2245-02-113-02-00-05-43	5,45,00,000 / -
	कुल राशि-	5,45,00,000 / - (पाँच करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये मात्र।

2. मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक-10.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के निर्णय-3 "भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति एवं होने वाली क्षति के संदर्भ में क्षतिग्रस्त जिलों से प्राप्त अधियाचना को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए जिलों को राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत शीर्ष में उपबंधित राशि से अनुमानित राशि उपलब्ध कराने पर राज्य कार्यकारिणी समिति ने मदवार राशि स्वीकृत करने पर निम्नवत् सहमति प्रदान की गई" :-

(IV) प्राकृतिक आपदा-बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि (अग्निकांड सहित) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मति एवं पुनर्निर्माण हेतु जिलों को आवंटित राशि की विवरणी :-

क्र० सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3
1	राँची	18,00,000
2	गुमला	30,00,000
3	सिमडेगा	15,00,000
4	लोहरदगा	10,00,000
5	खूँटी	10,00,000
6	हजारीबाग	15,00,000
7	रामगढ़	11,00,000
8	घतरा	13,00,000
9	कोडरमा	10,00,000
10	गिरिडीह	14,00,000
11	धनबाद	28,00,000
12	बोकारो	31,00,000
13	पूर्वी सिंहभूम	60,00,000
14	पश्चिमी सिंहभूम	33,00,000
15	सरायकेला-खरसावाँ	45,00,000
16	पलामू	21,00,000
17	गढ़वा	10,00,000
18	लातेहार	20,00,000
19	दुमका	14,00,000
20	जामताड़ा	10,00,000
21	देवघर	10,00,000
22	गोड्डा	29,00,000
23	साहेबगंज	70,00,000
24	पाकुड़	18,00,000
कुल योग		5,45,00,000

- उक्त आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में भारत सरकार द्वारा चिह्नित प्राकृतिक आपदा (सुखाड़ को छोड़कर) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 द्वारा निर्गत Items और Norms of assistance का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
- गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2020-NDM-I दिनांक-09.04.2020 द्वारा पूर्व के राज्य आपदा मोचन निधि हेतु पत्रांक-32-07/2014-NDM-I दिनांक-08.04.2015 से निर्गत Items & Norms of assistance की वैधता बढ़ा दी गई है।



आ०सं०-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-...15 (आ०) आ०प्र०, राँची दिनांक-...09.06.2022

5. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक-33-05/2015-NDM-I, दिनांक-30.07.2015 में अंकित प्राकृतिक आपदा-Cyclone, Earthquake, Fire, Flood, Tsunami, Hailstorm, Landslide, Avalanche, Cloud Burst, Pest Attack and Frost & Cold Wave से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुकवार स्वीकृत की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. उक्त आवंटित राशि का उपयोग "यास चक्रवात, 2021" सुखाड़ एवं अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण में नहीं किया जायेगा।
7. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
8. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
9. अनुग्रह अनुदान का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।
11. उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
13. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०- 4 में पूर्ण विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2023 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
15. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06.05.2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
16. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

17. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
18. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
19. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
20. वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जाय।
21. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
22. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,



(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापकः-05/रा०आ०मो०नि०(अनुग्रह अनुदान)-02/2022-15(आ०)/आ०प्र०, राँची दिनांक-09.06.2022

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव के उप सचिव/सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-09 (बजट प्रशाखा) एवं प्रशाखा-12 (सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रशाखा), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D)

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 2/22/15(AA)

दिनांक - 09-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28204	RNCDAD034 KEWAL KRISHNA AGRAWAL NAJARAT DEPUTY COLLECTOR. 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख
2	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28205	GMLDAD009 SIDDHARTH SHANKAR CHAUDHRY N. D. C. GUMLA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	3,000,000.00 रुपये तीस लाख
3	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28206	SDGDAD014 MRS R.RONITA DY.COMMISSIONER, SIMDEGA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख

योग: रुपये तीसठ लाख

6,300,000.00

क्रमिक योग:

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसे. नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28207	LDGDAD030 SHRI WAGHMARE PRASAD KRISHNA DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
5	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28208	KHNDADK01 SHASHI RANJAN D.C.KHUNTI 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
6	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28209	HZBDAD055 ADITYA KUMAR ANAND DY.COMMISSINOR HZB 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख

योग: रुपये अठानवे लाख
क्रमिक योग:

3,500,000.00

9,800,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र क्रोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन प्रदा	आवंटित राशि
7	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28210	RGHDAD059 SRI SOURABH PRASAD NDC RAMGARH 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,100,000.00 रुपये ग्यारह लाख
8	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28211	CTRDAD003 ANJALI YADAV D.C. CHATRA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,300,000.00 रुपये तेरह लाख
9	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28212	KDMDADA12 ADITYA RANJAN D.C. KODERMA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग: रुपये एक करोड बत्तीस लाख
क्रमिक योग:

3,400,000.00

13,200,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28213	GRDDAD026 SHRI NAMAN PRIYESH LAKRA (IAS) DY. COMMISSIONER GIRIDIH 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,400,000.00 रुपये चौदह लाख
11	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28214	DHNDAD023 SANDEEP SINGH DY.COMMISSIONER DHANBAD 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	2,800,000.00 रुपये अठ्ठाइस लाख
12	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनस्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28215	BKRLDR014 SATAD ANWAR ADDITIONAL COLLECTOR, BOKARO 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	3,100,000.00 रुपये इकतीस लाख

योग: रुपये दो करोड पाँच लाख
क्रमिक योग:

7,300,000.00

20,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंदित राशि
13	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28216	JSRDAD001 ABHISHEK KUMAR ESTT.DY.COLLEAST SINGHBHUM 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	6,000,000.00 रुपये साठ लाख
14	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28217	SGHDAD013 JAYANT RANJAN ASST.NAZARAT DEPUTY COLLECTOR 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	3,300,000.00 रुपये तैतीस लाख
15	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28218	SKLDAD013 DHANBIR LAKRA DY. COLLECTOR NAZARAT SKL 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	4,500,000.00 रुपये पैतालीस लाख

योग: रुपये तीन करोड तीरयालीस लाख
क्रमिक योग:

13,800,000.00

34,300,000.00

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

क्रमांक	विपक्ष कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28219	PLMDAD002 SAILESH KUMAR SINGH N.D.C.PLM 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	2,100,000.00 रुपये इक्कीस लाख
17	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28220	GRHLDR003 PANKAJ KUMAR SINGH A.C.GARHWA 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
18	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28221	LTRDAD002 ALOK SHIKARI KACHHAP A.C. LATEHAR 43 - अनुरक्षण, मरम्मत एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	2,000,000.00 रुपये बीस लाख

योग: रुपये तीन करोड चौरानवे लाख
क्रमिक योग:

(AMITABH KAUSHAL)
SECRETARY

5,100,000.00

39,400,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28222	DMK DAD011 RAVI SHANKAR SHUKLA DEPUTY COMMISSIONER, DUM KA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,400,000.00 रुपये चौदह लाख
20	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28223	JMT DAD006 ABHISHEK SHRIVASTAVA I/C.A.C. JAMTARA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख
21	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28224	DGRL DRA39 CHANDRA BHUSHAN SINGH ADDL. COLLECTOR DEOGHAR 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,000,000.00 रुपये दस लाख

योग:

रुपये चार करोड अठाइस लाख

3,400,000.00

क्रमिक योग:

42,800,000.00

(AMITABH KAUSHAL)

SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा	आवंटित राशि
22	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28225	GDDDAD020 BHOR SINGH YADAV DY. COMMISSIONER, GODDA 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	2,900,000.00 रुपये उन्तीस लाख
23	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28226	SBJLDR004 VINAY KUMAR MISHRA ADDL. COLL. SAHIBGA NJ 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	7,000,000.00 रुपये सत्तर लाख
24	S 39 22450211302000543 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात आदि 113 - घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता 02 - बाढ़ चक्रवात ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती / पुनर्स्थापना 00-NA 05 - निर्माण Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	28227	PKRDADA07 VARUN RANJAN DEPUTY COMMISSIONER PAKUR 43 - अनुरक्षण, मरम्मति एवं ससज्जीकरण (सामग्री)	1,800,000.00 रुपये अठारह लाख

योग: रुपये पाँच करोड पैतालीस लाख
क्रमिक योग:

11,700,000.00

54,500,000.00

(AMITABH KAUSHAL)

SECRETARY